

# आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... से ..... तक  
 जिला ..... से दो खीं वीरसो 55/12-1

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री मल्लि ज्ञान्नी देवी  
 पत्न्य श्री. राम नारायण सिंह ग्राम कोइरा  
 थाना पालीगंज जिला पटना  
 पी. वा. सं. नं० 6834 दिनांक 13/5/86

को आधार पर निम्नांकित वर्गों पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

वर्ग का नाम	श्रीजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी
<u>सन्दलपुर</u>	<u>293</u>	<u>104</u>	<u>1245</u>	<u>06 1/2</u> की
<u>11</u>	<u>105</u>			<u>अगान</u> <u>2500</u>

माल आवेदन पर कब्जा वर्गीकरण को जिला निरीक्षक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जिला पदाधिकारी को आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक 26/5/86 को उपस्थित करें।

जिला अधिकारी ..... अंचल अधिकारी

महान पर ताम्रपत्र प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। वर्गीकरण का प्रतिवेदन जिला निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन को नाम सारित खरिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके वर्गीकरण का आधार जिला पदाधिकारी को उपस्थित करें।

जिला अधिकारी ..... अंचल अधिकारी